

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

( आय-व्ययक अनुभाग )

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।

पत्रांक- 7150/आई०वी०/अन्तरण/अनु०-94/पूँजीलेखा

लखनऊ दिनांक: मार्च 30, 2024

## कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सिं-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी०सी०एल० प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सिं०-9-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के बिन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्ड को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

क्र ० सं ०	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय स्वीकृति का संदर्भ	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं डी०डी०ओ कोड	कोषागार/ जनपद	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आगरा नहर के किमी० 78.400 पर स्थित शेपाई रेगुलेटर के डाउनस्ट्रीम में आगरा नहर प्रणाली के क्रास रेगुलेटर हेड रेगुलेटर एवं एस्केप के गेटों के पुनरोद्धार की परियोजना	4700-07-051-10-14-24	190/2024/211पी/24-27-सिं०-4-002-42-w-pari -2023 फ.क.न-1699298 दिनांक 28-03-2024	मु०अभि०(यमुना) ओखला के पत्रांक-नि-632/मुअय दिनांक 29-03-2024	अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा, 4801	मथुरा	59.38
					कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर, 4813	कानपुर	415.00
2	बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुयी बस्ती शाखा के किमी० 51.720 से किमी० 51.741 बायें बैंक, किमी० 51.600 से किमी० 51.610 बायें बैंक, किमी० 60.600 से किमी० 60.650 बायें बैंक एवं विरहिमपुर राजवाहा के किमी० 7.180 से किमी० 7.191 के मरम्मत की परियोजना	4700-17-051-10-14-24	111/2024/001/436/24-27-सिं०-9-95 एसएवी/23 दिनांक 13-03-2024	मु०अभि०(सरयू परि०-2) गोण्डा के पत्रांक-1157/मुअसप्र-2 दिनांक 22-02-2024	सरयू नहर खण्ड-1, बलमरापुर, 4801	बलरामपुर	9.00
3	निचली माँट शाखा खण्ड गंगा नहर, मथुरा के अन्तर्गत राजबाहों एवं अल्पिकाओ पर अवशेष 100 नं०-पुराने क्षतिग्रस्त पुल/पुलियों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण की परियोजना	4700-04-051-10-14-24	157/2024/147p/24-27-सिं०-4-001-111-w-pari -2021 फ.क.न-1671489 दिनांक 16-03-2024	मु०अभि०(गंगा) मेरठ के पत्रांक-2732/मुअगंगा दिनांक 29-03-2024	निचली माँट शाखा खंड गंगा नहर, मथुरा, 4810	मथुरा	26.40
4	आसीवन शाखा के किमी० 0.00 से किमी० 41.03 तक क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना	4700-08-051-10-14-24	195/2024/220पी/24-27-सिं०-4-001-5-डब्ल्यू-परि० -2018 दिनांक 28-03-2024	मु०अभि०(शारदा) बरेली के पत्रांक-3355/मुअशाब दिनांक 28-03-2024	सिंचाई खण्ड, उन्नाव, 4810	उन्नाव	14.32
	शारदा मुख्य नहर के किमी० 4.330 से किमी० 13.500 तक बैंक मरम्मत एवं सुदृढीकरण के कार्य की परियोजना		197/2024/195पी/24-27-सिं०-4-001-8-डब्ल्यू-परि० -2020 दिनांक 28-03-2024		हैडवर्क्स खण्ड शारदा नहर, बरेली, 4802	बरेली	10.78
						योग-	534.88


(रु० पाँच करोड चौतीस लाख अट्ठासी हजार मात्र )


अनिल कुमार

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4/9 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(पश्चिम/पूर्व/रूहेलखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, मेरठ/बरेली/गोरखपुर।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका एवं मुख्य अभियन्ताओं के पत्र की छायाप्रतियों के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (यमुना/सरयू परि0-2/गंगा/शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, ओखला/गोण्डा/मेरठ/बरेली।
- ✓ 9- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सिंचाई एवं जल सं0विभाग, 30प्र0, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 10- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता..... ।
- 11- संबंधित अधिशासी अभियन्ता..... ।
- 12- स्टाफ अधिकारी(बजट)मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 13- कट फाईल हेतु।

  
( राकेश कुमार )  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

  
30-2-24